



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2244]  
No. 2244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2012

का.आ. 2696(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 9 मई, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1122(अ), दिनांक 9 मई, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 से 4 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

## उपाध्यक्ष

[धारा 4 के खण्ड (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त]

क्रम संख्या 2- श्रम और रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

## सदस्य

[धारा 4 के खण्ड (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त]

क्रम संख्या 3- सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

क्रम संख्या 4- अपर सचिव/संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

[सं. यू-16012/3/2007-एसएस-I]

रवि माथुर, अपर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2012

S.O. 2696(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1122(E), dated 9th May, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated the 9th May, 2008.

In the said Notification at S. No. 2 to 4 following entries shall be substituted, namely :—

## VICE-CHAIRMAN

[Appointed by the Central Government under clause (b) of Section 4]

S.No.2- Minister of State for Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

## MEMBER

[Appointed by the Central Government under clause (c) of Section 4]

S. No. 3-Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi.

S. No. 4-Additional Secretary/Joint Secretary (Social Security Division), Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

[No. U-16012/3/2007-SS-I]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.